राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 128वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 128वीं बैठक दिनांक 15/09/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 127वीं बैठक दिनांक 01/09/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 127वीं बैठक दिनांक 01/09/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 417वीं एवं 418वीं बैठक क्रमशः दिनांक 25/07/2022 एवं 26/07/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–जमीरापाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2022ए)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76931/2022, दिनांक 13/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जमीरापाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक – 2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि – 107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 91,438.03 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 49,235.96 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:-

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर/ बलरामपुर-रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरनंजा	मैनपाट/सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला/कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट/सरगुजा	44.718	76162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-चिरंगा, जिला-सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त

सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाशिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन-टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. बलरामपुर/बॉक्स/खयो-1325/2021 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/ सीएमडीसी/2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/सीएमडीसी/2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-9/2021/12 नया रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी-1, पी-2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू-स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत

शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/ना.प्रि./2021/2992 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जमीरापाट 2 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापने पर झारखंड अंतर्राज्जीय सीमा 3.3 कि.मी. दूर होना पाया गया है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 27,89,732 टन एवं माईनेबल रिजर्व 26,96,597 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	First year exploratory borehole proposed
द्वितीय	65,595.9
तृतीय	75,550.87
चतुर्थ	84,961.36
पंचम	91,438.03

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/ सीएमडीसी/ 2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–जमीरापाट) का रकबा 114.009 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.

   v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   vi. As per submition made the Project proponent insent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

   vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सरभंजा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2026)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77027 / 2022, दिनांक 17 / 05 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सरभंजा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक – 978, 979 एवं 206 अन्य, कुल क्षेत्रफल–207.87 हेक्टेयर (निजी भूमि – 66.63 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 131.24 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 80,769.23 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 10 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31 / 05 / 2022 एवं 10 / 06 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर / बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.716	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28 / 02 / 2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20 / 07 / 2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाडिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओव्हरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बॉक्सर/खयो–1324/2021 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ

3–19/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2195 अम्बिकापुर, दिनांक 16/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोसरा 4 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 46,48,320 टन एवं माईनेबल रिजर्व 38,88,313 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,10,104.44
द्वितीय	1,19,905.39
तृतीय	1,38,213.76
चतुर्थ	1,45,994.85
पंचम	1,50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 6,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्ष स्थित है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 224 नग वृक्ष (192 नग साल, 30 नग नीलगिरी, 01 नग कटहल एवं 01 नग आम) है। उक्त के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर कुछ रहवास निर्मित है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में वृक्ष, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किये जाने का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सरभंजा) का रकबा 207.87 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सलगी, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1991)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75075/2022, दिनांक 13/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलगी, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक – 43/2, 61 एवं 51 अन्य, कुल क्षेत्रफल–42.646 हेक्टेयर (निजी भूमि – 32.898 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 9.748 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,99,675 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 1,07,625 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2.78 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर/ बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स श्रुस्ती सेवा प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री उमाकांत एकनाथजी रोडे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. कबीरधाम/बॉक्स/खयो–1317/2021–रायपुर, दिनांक 01/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.लि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.लि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में ग्राम–सलगी बसाहट जिसके अंतर्गत 17 परिवार निवासरत हैं एवं गौठान, आंगनबाड़ी मरघट, कच्ची सड़क स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, तालाब, पुलिया, बांध, मंदिर, मस्जिद, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये उत्खनन कार्य किया जाएगा, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–16/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 20/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8250 कवर्धा, दिनांक 17/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 20–25 मीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक

एफ–1/2006/10–11 भोपाल, दिनांक 23/11/2010 द्वारा वन क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर क्षेत्र के अंदर खनि रियायत देने हेतु विचार करने के लिए गठित समिति के समक्ष भेजे जाने वाले प्रस्ताव हेतु पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक सं.–02/151 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा "उपर्युक्त निर्देश मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित से तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्देशों का संज्ञान में नहीं लिया जाए।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत नियमों में प्रावधानित वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी छोड़कर खनन संक्रिया करेगा, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा इसका समावेश फाईनल ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है। अतः माईनिंग प्लान में उक्त दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र के खसरा क्रमांक 149 एवं 153, वन भूमि से लगी हुई है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलगी लीज क्षेत्र से लगी हुई है एवं रेल्वे स्टेशन हथबंद 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कि.मी. दूर है। हॉफ नदी 2.3 कि.मी. दूर है। दलदली आरक्षित वन 2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 15,18,678 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,47,129 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,910
द्वितीय	50,232
तृतीय	59,202
चतुर्थ	83,720
पंचम	89,102

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में आगामी 5 वर्षों हेतु वर्षवार उत्खनन योजना प्रस्तुत की गई है। कॉन्सेप्चुअल प्लान के अनुसार आगामी सातवें वर्ष में अधिकतम उत्खनन 1,99,875 टन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य से पक्की सड़क गुजर रही है। लीज क्षेत्र के दोनों तरफ 50–50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख. नि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सलगी) का रकबा 42.646 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest Conservation Act) before the submission of final EIA report.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that the project proponent shall as per rule carryout mining after leaving the prescribed distance from the forest boundary as laid down in forest act, forest

conservation act 1980 and rule made there under and incorporate the same in EIA/EMP report.

xxi. The project proponent shall submit the revised mining plan duly approved from competent authority.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

4. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–डांडकेसरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2073)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78162/2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डांडकेसरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक – 42/3,43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल–44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि 44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 67,307.7 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 4.8 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर / बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोकला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराना अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–घिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाठिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओकरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बॉक्स/खयो–1328/2022 रायपुर, दिनांक 01/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 863/ख.लि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 863/ख.लि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–20/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./122 अम्बिकापुर, दिनांक 21/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "छोटे बड़े झाड़ के जंगल" है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ग्राम–डांडकेसरा, कुल क्षेत्रफल 91.3 हेक्टेयर क्षेत्र में बॉक्साईट खनिपट्टा हेतु आवेदन किया गया था। परंतु उक्त प्रमाण पत्र के प्राप्ति उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पृ. ज्ञापन क्रमांक/अम्बिकापुर/2021–22/661(1) दिनांक 18/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर वन भूमि आने के कारण कुल क्षेत्रफल 91.3 हेक्टेयर में से 46.582 हेक्टेयर क्षेत्र में को आबादी क्षेत्र (32.146 हेक्टेयर) एवं छोटे बड़े झाड़ के जंगल (14.436 हेक्टेयर) होने के कारण 46.582 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 44.718 हेक्टेयर क्षेत्र है। समिति का मत है कि छोटे बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में गैर वनिकी कार्य में उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान

लागू होगें। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डांडकेसरा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 36,04,080 टन एवं माईनेबल रिजर्व 24,14,655 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर से 7.8 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर से 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	1,00,000
पंचम	1,25,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी अथवा वृक्ष, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य से राजमार्ग गुजर रही है। लीज क्षेत्र के दोनों तरफ 50–50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 963 / ख.लि.–1 / एम.एल. / 2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22 / 07 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–डांडकेसरा) का रकबा 44.718 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, chhote bade jhar ke jungle, project proponent shall submit the stage-1 Forest Clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.

   v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

   vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. **मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2046)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77308/2022, दिनांक 27/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड को एन.एच.–130–सी.डी. सड़क निर्माण (Development of six lane Jhanki-Sargi section of NH-130-CD road from km 00+000 to km 42+800 under Raipur-Visakhapatnam economic corridor in the state of CG on Hybrid Annuity Mode) हेतु लेख किया गया है।
2. मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स मां शारदा मिनरल्स के मध्य उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु एम.ओ.यू. (Memorandum of understanding) दिनांक 31/03/2022 को हुआ है।

चूँकि आवेदित प्रकरण के तहत् चूना पत्थर का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य हेतु किया जाना है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर, क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण

समाधान निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 28/12/2020 को जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 912/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/07/2022 अनुसार विगत वर्षों में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे वर्तमान में ई–ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त की गई है। खनिज विभाग द्वारा उक्त हेतु लीज डीड जारी किया गया है। साथ ही प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) के अनुसार लोक सुनवाई कराई गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लोक सुनवाई के दौरान भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई लिखित/मौखिक आपत्ति नहीं की गई। अतः प्रकरण में ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित क्षमता हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 2463/खनि 02/मा. प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.858 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स मां शारदा मिनरल्स के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 12/10/2020 से 11/10/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 699 श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी (नागरी दास) मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया

गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे वर्तमान में ई–ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त की गई है। अतः सहमति पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित क्षमता हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./4855 रायपुर, दिनांक 05/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी मंदिर हसौद 1.7 कि.मी., स्कूल मंदिर हसौद 2 कि.मी. एवं अस्पताल मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. है। केनाल 127 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,04,637 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,44,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई कुल 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,600 घनमीटर है, जिसमें से 5,940 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं 12,660 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,22,325
द्वितीय	7,22,325

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 531 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में तथा लीज क्षेत्र के बाहर ऊपरी मिट्टी भण्डारित स्थल पर 431 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 962 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ए.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,940 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,650 वर्गमीटर क्षेत्र 13.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है। पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किया जाना संभव नहीं है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था तथा लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2020 को संपन्न कराई गई थी। अतः वर्तमान में आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु पूर्व डाटा कलेक्शन का कार्य एवं लोक सुनवाई को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्व में लोक सुनवाई हुई थी, वह 2,96,670 टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए थी। वर्तमान में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु लोक सुनवाई कराया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में एकत्रित बेस लाईन डाटा का उपयोग करते हुये क्लस्टर की क्युमिलिटीव ई.आई.ए. रिपोर्ट (Cumulative EIA Report) तैयार किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2019 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 06/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.858 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) का रकबा 4.048 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) को मिलाकर कुल रकबा 33.906 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Cumulative Environment Impact Study report in the EIA.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Proposed Capacity of Mining.

   v. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for uses of land.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit to accomplice the commitments made to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

x. Project proponent shall undertake noise study (incorporating in the mining operation, vehicular movement during mine operation, control blasting etc) and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

8. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संदीप वर्मा), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1970)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 261729/2022, दिनांक 16/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पाथर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 765, कुल क्षेत्रफल–1.05 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,755 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया

जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स ए.टी. स्टोन (प्रो.– मोहम्मद आरिफ, बहनाकाडी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बहनाकाडी, तहसील–आरंग जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1990)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 267611/2022, दिनांक 13/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/04/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बहनाकाडी, तहसील–आरंग जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 500, 501, 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 70)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46530/2015, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु दिनांक 20/06/2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 102वीं बैठक दिनांक 21/10/2020 में श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन) को ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1909(पी) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.92 हेक्टेयर, क्षमता – 40,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा नहीं करने के कारण प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 115वीं बैठक दिनांक 22/09/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि–लिस्ट/निरस्त किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, अपरिहार्य कारणों

से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने हेतु आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि चूंकि आवेदित प्रकरण को पूर्व में ही प्रकरण में भी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि–लिस्ट/निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में पुनःविचार किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुपालन में पुनः आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि नियमानुसार प्रचलित समस्त नियमों का पालन करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स ओम श्री रूपेश स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1892)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70583/ 2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चिराईपानी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 42, 37/2, 37/1/क, 104/1 एवं 104/2, कुल क्षेत्रफल – 3.471 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,46,960 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल क्षमता – 2,34,612 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित क्षमता – 1,60,512 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित /पल्वराईज्ड कोल क्षमता – 74,100 टन प्रतिवर्ष), पाईप मिल क्षमता – 1,22,600 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 48.53 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12/10/2021 को जारी की गई है, जो 01 वर्ष की अवधि हेतु (Date of commissioning of the plant) वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पाली 1 कि.मी., शहर रायगढ़ 10 कि.मी एवं रेलवे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 800 मीटर की दूर है। केलो नदी 1.5 कि.मी. दूर है।

   - उर्दना आरक्षित वन 520 मीटर, बारकछार आरक्षित वन 1 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 3.6 कि.मी., बोईरदादर आरक्षित वन 8.43 कि.मी., केराडोंगरी संरक्षित वन 2.5 कि.मी. एवं लाखा संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी–1) प्रस्तुत किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land use	Existing		After Expansion	
	Area (in Sq. m.)	Area (%)	Area (in Sq. m.)	Area (%)
Built Up Area	0.8425	35	1.5758	45.40
Road Area	0.2407	10	0.3332	9.60
Green Belt Area	0.8023	33.33	1.1570	33.50
Open Area	0.5215	21.67	0.4050	11.50
Total	**2.4070**	**100**	**3.4710**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

For Induction Furanace (Steel melting shop)		
Name of Raw Material	**Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	2,32,075	By Road Through Covered Vehicles
CI/ Pig Iron Heavy Scrap	51,178	
Ferro Alloys	2,559	
Ramming Mass & other Refractory linings	370	

For Hot Charging Rerolling Mill		
Hot Billets	1,68,960	Internal Transfer
For Reheating Furnace based Rolling Mill		
Cold Billets Internally Available	78,000	Internal Transfer By Road Through Covered Vehicles
Coal	8,892	By Rail & Road Through Covered Vehicles
For Pipe Mill		
MS Strip Through Re-heating Furnace and outside Market	1,29,038	Internally available and through covered trucks from nearby steel plants

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Particulars	Existing Capacity (in TPA)	After Expansion Capacity (in TPA)
Steel Melting Shop (Induction Furnace with CCM)	28,600 TPA (1 X 10 T & 1 X 6 T Furnace)	246,960 TPA (6 X 12 T Furnace)
Hot Charging based Rolling Mill	-	1,60,512
Reheating Furnace based on Coal Gasifier/ Pulverised Coal Rolling Mill	-	74,100
Pipe Mill	-	1,22,600

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वेट स्क्रबर एवं चिमनी लगाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्टील मेल्टिंग शॉप से डिफेक्टिव बिलेट्स – 2,520 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 2,520 टन प्रतिवर्ष, स्लेग– 29,196 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री एण्ड रनिंग मास वेस्ट – 186 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल स्केल – 4,939 टन प्रतिवर्ष, डिफेक्टिव एण्ड मिस रोल– 7,409 टन प्रतिवर्ष, कोल ऐश– 4,001 टन प्रतिवर्ष तथा पाईप मिल से एम.एस. स्क्रैप– 6,452 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्टील मेल्टिंग शॉप से उत्पन्न डिफेक्टिव बिलेट्स एवं मिस रोल को स्वयं के रि–रोलिंग प्लांट में स्क्रैप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल को समीपस्थ फेरो एलॉय /पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी के लिए आंतरिक रूप से उपयोग (Used Internally) एवं ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध अथवा मेटल रिकवरी इकाई को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री एण्ड रनिंग मास वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को विक्रय किया जाएगा। कोल ऐश को ब्रिक निर्माण इकाई अथवा सीमेंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। एम.एस

पाईप मिल से उत्पन्न एम.एस. स्क्रैप को स्वयं के रि–रोलिंग प्लांट में स्क्रैप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 80 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 210 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 201 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 9 घनमीटर) जल का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में भू–जल की उपयोगिता (80 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 20/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार की जानकारी (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ)वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।

  (ब)ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल रन ऑफ वॉटर की विस्तृत गणना/जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 21 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 750 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1.157 हेक्टेयर (लगभग 33.5 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/06/2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है। अतः उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर अतिरिक्त टीओआर सहित स्टैण्डर्ड टीओआर जारी किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department, mentioning distance between project boundary to Wildlife sanctuary & forest boundary.

iv. Project proponent shall submit the elephant movement corridor conservation plan.

v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with chimney height and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vii. Project proponent shall submit the revise layout plan for increasing Plantation area and earmarking altleast 20m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

viii. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for after expansion quantity).

x. Project proponent shall submit details of Traffic study report (for existing & proposed).

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

ii. Project proponent shall submit the Mass Balance & Energy Balance with detail calculation for the proposed plant.

iii. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO_2 emission from the plant operations, the measures undertaken in

the process and minimize use of fossil fuels. Project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consist of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operations & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with a defined time-frame. These studies shall be formulated keeping in view that India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit and shall be part of the proposal eventually for Environmental Clearance.

iv. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

10. मेसर्स जय मां काली स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, हस्तिनापुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1822)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 230788/2021, दिनांक 25/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,397 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1853)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69928 / 2021, दिनांक 09 / 12 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 12 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 02 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 36 (पार्ट), 38 (पार्ट) एवं 39, कुल क्षेत्रफल–1.01 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,313.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10 / 03 / 2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी माईनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पू. ज्ञापन क्रमांक 6111 / खनि02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.08 / 2021(4) नया रायपुर, दिनांक 02 / 12 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 65.093 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 580/गौ.खनिज/उ.प./2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आमाकोनी 1.15 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–आमाकोनी 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सुहेला 3.66 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं महानदी केनाल 9.72 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 4,72,661 टन (1,89,064 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,28,135 टन (91,254 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,16,728 टन (86,691 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,081 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,808 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	29,949
द्वितीय	32,313
तृतीय	26,751
चतुर्थ	25,290
पंचम	30,000

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,081 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 606 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10/03/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्वारी लीज श्री विवेक अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर था, जिसकी वैधता समाप्त होने के पश्चात् उसमें से कुछ क्षेत्र में पुनः क्वारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत ग्राम पंचायत आमाकोनी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./979 रायपुर, दिनांक 06/04/2005 द्वारा जारी प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्वारी लीज श्री विवेक अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर था, जिसकी वैधता समाप्त होने के पश्चात् उसमें से कुछ क्षेत्र में पुनः क्वारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 65.093

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) का रकबा 1.01 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) को मिलाकर कुल रकबा 66.103 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for supply and permission for usage of the supplied water.

iv. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

v. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

xi. Project proponent shall submit permission from DGMS for blasting & incorporate the permission in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall submit the LOI extension copy.

ii. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) सशर्त जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

12. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज (पार्टनर – श्री राणा अरुण कुमार सिंह, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1909)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70968 / 2022, दिनांक 10 / 01 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 02 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश पटेल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर, क्षमता–38,123 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 15 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 104/ खनि/ तीन–1/ 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 09/05/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	निरंक
2018–19	10,900
2019–20	20,250
2020–21	34,600
2021–22	37,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 28/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ क्वारी प्लान एलांग विथ मॉडिफाईड माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5979/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.ज्ञा.08/2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.367 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है। लीज 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/12/2007 से 30/11/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/12/2017 से 30/11/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि श्री योगेश पटेल, श्री तरुण पटेल, निकुंज पटेल, श्री जयन्ती भाई पटेल एवं श्री मंगल भाई पटेल पार्टनर है।

पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./खनिज/2021/2266 बलौदाबाजार, दिनांक 02/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरवारी 1.02 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–सुहेला 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सुहेला 1.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं जमुना नदी 8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 8,73,600 टन (3,49,440 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 3,98,849 टन (1,59,539 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,78,906 टन (1,51,562 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,332 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,492 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	49,170
तृतीय	56,025
चतुर्थ	48,990
पंचम	50,550

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.58 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 790 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,332 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 616 वर्गमीटर क्षेत्र 14 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी—1, पी—2) सहमति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत लोहारी का दिनांक 15/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 06/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.367 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) का रकबा 1.788 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) को मिलाकर कुल रकबा 6.155 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

ix. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स

(टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) सशर्त जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

13. मेसर्स खाड़ा ब्रिक्स अर्थवले क्वारी एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री राम कृपाल साहू), ग्राम–खाड़ा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1939)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257569/2022, दिनांक 20/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खाड़ा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स खोडरी ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री अरूण कुमार साहू), ग्राम–खोडरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1875)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 245792/2021, दिनांक 18/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खोडरी, तहसील–बैकुण्ठपुर,

जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,17,304 नग प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3, कुल क्षेत्रफल – 1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 1,500 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी/प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /1292/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2016	निरंक
2017	40,000
2018	6,55,000
2019	5,20,000
2020	2,67,500

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /284/खनिज/उ.प./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2021	2,10,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डबरीपारा का दिनांक 15/10/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 953/खनिज/खनि.2/2016 कोरिया, दिनांक 11/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1293/खनिज/उ.प./2021,कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1294/खनिज/उ.प. /2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, बांध, एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री अरूण कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/01/2011 से 24/01/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 25/01/2016 से 24/01/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2265 बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/10/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भांडी 700 मीटर, स्कूल ग्राम–भांडी 790 मीटर एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 160 मीटर एवं राज्यमार्ग 8.3 कि.मी. दूर है। गेज नदी 2.4 कि.मी. एवं तालाब 1.2 कि.मी दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,935 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,629 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 14,966 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 18,249 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 11,648 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 450.86 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.4 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,442.53	7,74,741
द्वितीय	1,521.27	8,17,029
तृतीय	1,512.84	8,12,500
चतुर्थ	1,515.47	8,13,916
पंचम	1,459.56	7,83,884

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	1,504.70	8,08,127
सप्तम	1,517.43	8,14,967
अष्टम	1,521.78	8,17,304
नवम	1,511.20	8,11,620
दशम	1,454.60	7,81,224

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.85 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 275 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 225 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 50 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के

लिए राशि 500 रूपये, फेंसिंग (पूर्व में किया जा चुका है) के लिए राशि 50,000 रूपये तथा खाद के लिए राशि 27,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 78,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 3,10,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला से लगभग 35 प्रतिशत ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
26	2%	0.52	Following activities at Nearby Govt. Primary School, Village- Lakhna	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.36
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			UV Water Filter (8 litre)	
			5 Year AMC	
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank	0.18
			Pipeline & Installation	
			Total	0.54

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1293/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–खोडरी) का रकबा 1.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खोडरी ब्रिक अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री अरूण कुमार साहू) को ग्राम–खोडरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3 में स्थित ईंट उत्पादन इकाई (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 8,17,304 नग (1,521 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मेसर्स खोडरी ब्रिक अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री अरूण कुमार साहू) को ग्राम–खोडरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 159/2 एवं 159/3 में स्थित ईंट उत्पादन इकाई (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 8,17,304 नग (1,521 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण अंकित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स (प्रो.– श्री टेमलाल राजवाड़े, कुंजनगर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1910)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248894/2021, दिनांक 12/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 653, 582, 584, 585, 586, एवं 650, कुल क्षेत्रफल–2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 882.76 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 6,31,579 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टेमलाल राजवाड़े, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम सभा कुंजनगर का दिनांक 19/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1322/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 17/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4309/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 29/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4309/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 29/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल भवन, स्कूल, अस्पताल, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1202/खनिज/ई-निविदा-कुंजनगर/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 29/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/03/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनि शाखा), सूरजपुर के पत्र दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स, प्रो. श्री टेमलाल राजवाड़े, निवासी कुंजनगर, तहसील व जिला सूरजपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2016 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते**

हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सूरजपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 653 श्री भुवनेश्वर, श्री दुर्वेश्वर, श्री कलसिया, खसरा क्रमांक 582, 588 श्री हंस कुमार, श्री रामरूप, श्री सैनाथ, श्री खेदन राम, खसरा क्रमांक 585 श्री धनसार, श्री हरसू, खसरा क्रमांक 584 श्री चैन प्रसाद, श्री हरकलाल, श्री रामलाल, श्री पारस, श्रीमती रामकली एवं खसरा क्रमांक 650 श्री तिलेश्वर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/भा.वि./1517 सूरजपुर, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुंजनगर 150 मीटर, स्कूल ग्राम–कुंजनगर 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिश्रामपुर 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। नाला 330 मीटर, तालाब 420 मीटर एवं रेहार नदी 1.35 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 45,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 37,763 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 33,988 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,012.64 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा। जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 39 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	882.76	6,31,579
द्वितीय	882.76	6,31,579
तृतीय	882.76	6,31,579
चतुर्थ	882.76	6,31,579
पंचम	882.76	6,31,579

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	882.76	6,31,579
सप्तम	882.76	6,31,579
अष्टम	882.76	6,31,579
नवम	882.76	6,31,579
दशम	882.76	6,31,579

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.42 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 456 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,560 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,26,580 रूपये, खाद के लिए राशि 50,600 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,31,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 4,02,400 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
36.78	2%	0.74	Following activities at Nearby Govt. Navin primary school **Village-Jhharpara, Kunjnagar**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.59
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			UV Water Filter (8 litre)	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank	0.15
			Pipeline & Installation	
			Total	**0.74**

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 8 के अनुसार "ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुये स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते है।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा–निर्देश के तहत् आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईंट भट्टे का निर्माण नहीं किया जाना है।

17. लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–कुंजनगर 150 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

18. उपरोक्त के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई हेतु दिनांक 04/08/2018 को एल.ओ.आई. (आशय पत्र) जारी की गई थी। जिसके संबंध में क्वारी प्लान दिनांक 17/09/2018 को स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, में दिनांक 04/10/2018 को आवेदन किया गया था, परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 12/12/2018 द्वारा "Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for public consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA" का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इसी बीच आवेदित खदान की एल.ओ.आई. (आशय पत्र) की वैधता समाप्त हो गई तत्पश्चात् एल.ओ.आई. (आशय पत्र) की वैधता वृद्धि दिनांक 02/08/2019 तक की गई और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में आवेदन किया गया। एल.ओ.आई. (आशय पत्र) की वैधता दिनांक 02/08/2019 में समाप्त होने के कारण दिनांक 11/09/2019 को प्रस्तुत प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त कर दिया गया। पुनः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 29/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/03/2021 द्वारा कराकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में दिनांक 12/01/2022 को आवेदन किया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को ईंट भट्टा हेतु जारी अधिसूचना के क्रमांक 8 के अनुसार "ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनका प्रकरण पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण को भारत

सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना के पूर्व का प्रकरण मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

16. मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.– श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मुरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–मुरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1800)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 67321/2021, दिनांक 06/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 396/2 एवं 396/2, कुल क्षेत्रफल–1.67 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 46,496.1 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/01/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/अनुरोध पत्र दिनांक 23/03/2022 एवं 06/06/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी /अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरा का दिनांक 08/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4409/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(4) नया रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 47 खदानें, क्षेत्रफल 72.9187 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1101/ख.लि./तीन-6/उ.प./2020 रायपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5527/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्पा./भ.क्र.50/2017(1) नया रायपुर, दिनांक 26/10/2021 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 24/10/2022) तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा. रायपुर, दिनांक

06/05/2022 द्वारा आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की आकाशीय दूरी से अधिक का उल्लेख है, परंतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुरा 650 मीटर, स्कूल ग्राम–मुरा 850 मीटर एवं अस्पताल सारागांव 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.45 कि.मी. दूर है। खारून नदी 22.6 कि.मी. एवं तालाब 210 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 7,93,250 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 3,28,232 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,21,667 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,187 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,878.5 घनमीटर है। ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा मात्रा 8,365.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	41,282	षष्टम	44,431
द्वितीय	43,434	सप्तम	42,321
तृतीय	45,438	अष्टम	5,145
चतुर्थ	44,467	नवम	4,410
पंचम	46,496	दशम	4,243

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.09 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,035 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 10/12/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/12/2021 को सूचना दी गई थी।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/ख.नि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 47 खदानें, क्षेत्रफल 72.9167 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुरा) का रकबा 1.67 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुरा) को मिलाकर कुल रकबा 74.5867 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC certificate from forest department.

vi. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

vii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system."

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) सशर्त जारी किया जाए।

17. मेसर्स निसदा लाईम स्टोन (फ्लेगी लाईम स्टोन) क्वारी, (प्रो.– श्री लालचंद अग्रवाल), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1857)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69981/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1340, कुल क्षेत्रफल–0.364 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 2,715 टन (1,086 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क्र /ख.नि./तीन–6/2021/634 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार "उक्त स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा खदान में वर्ष 2009 से आज पर्यन्त तक कोई उत्पादन/बिक्री का कार्य नहीं किया गया है" का उल्लेख है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 20/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.नि./उ.प./201/3318 रायपुर, दिनांक 10/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 635/ख.नि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 635/ख.नि. /तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है। महानदी 200 मीटर दूर है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री लालचंद अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2009 से

16/02/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021/634 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार "ग्राम निसदा प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. व तहसील आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) के खसरा नं. 1340 के भाग रकबा 0.90 एकड़ क्षेत्र पर श्री लालचंद्र अग्रवाल को अवधि दिनांक 17/02/2009 से 16/02/2039 तक चूनापत्थर उत्खननिपट्टा स्वीकृत है।" का उल्लेख है। लीज की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। महानदी 200 मीटर एवं महानदी नहर 260 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 67,836 टन, माईनेबल रिजर्व 19,685 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 14,748 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 938 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,325
द्वितीय	2,400
तृतीय	2,512
चतुर्थ	2,625
पंचम	2,715

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकरों के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 320 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 16,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 19,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 87,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 96,700 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 938 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें कुछ भाग ऊपरी मिट्टी (3 मीटर) वर्ष 2009 के पूर्व से उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 635/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 0.364 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.324 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर

से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit extended lease deed copy approved by mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 6 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

xii. Project Proponent shall submit the lease deed extension copy.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xix. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall submit the copy of extension of validity of mining lease and renewal of lease deed executed with Government of Chhattisgarh, Mineral Resource Department / District Collector duly registered.

ii. Project proponent shall submit the detail survey for rainwater harvesting potential and also submit an action plan for rainwater harvesting system.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) सशर्त जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स घौंटाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल), ग्राम–घौंटाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1552)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स घौंटाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल) की ग्राम–घौंटाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक जाँच बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया

जाना उल्लेखित है। जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।

- पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन को डम्प की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45° से अधिक ओवर बर्डन डम्प किया जाकर नियम विरूद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्त्रोत प्रभावित न हो, को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है।
- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार-बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः जाँच कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 26/04/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"निरीक्षण के समय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तथा श्री अंबुर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा के साथ–साथ श्री उत्तम खूंटे, खनि निरीक्षक, पट्टेदार श्री मातादीन जायसवाल एवं दो खनि सिपाही भी उपस्थित थे।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का बिंदुवार विवरण एवं निरीक्षण जाँच में पाई गई जानकारी निम्नानुसार है:–

1) **आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से कम है।**

समिति द्वारा जाँच करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र से समीपस्थ आबादी की दूरी लगभग 600 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक है।

2) **खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित या संरक्षित वन की सीमा है।**

समिति द्वारा जाँच करने पर पाया कि लीज क्षेत्र से वन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) पट्टेदार को आबंटित क्षेत्र, वन क्षेत्र की निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

3) **खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।**

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small hillock) में अवस्थित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर ऊंचाई से सम्बंधित है। वर्तमान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

4) **पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।**

यह शिकायत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सेफ्टी रूल से सम्बंधित है। अतः उसकी जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में आया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

5) **वर्षा जल से सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग वाल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।**

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा जल सतह में आता है, रिटेनिंग वाल तथा गारलैंड बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किया गया है।

पट्टेदार द्वारा समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि खनिज क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षा जल संचित होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है।

6) **लीज क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डंप किया जा रहा है।**

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़ा गया है।

7) **वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।**

खनिज अधिकारी कोरबा द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 2016 से आज दिनांक तक निर्धारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक खनन का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त जाँच के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उपसमिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया वो निम्नानुसार है:

- लीज क्षेत्र के चारो ओर केवल सीमा स्तम्भ स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारो ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारो ओर में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से तथा स्लोप के संबंध में जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. बिन्दु क्रमांक 5 के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किये एवं बिन्दु क्रमांक 6 के परिपेक्ष्य में उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

4. बिन्दु क्रमांक 7 के परिपेक्ष्य में आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है, जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किये है। परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार:-

- उपसमिति द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण नहीं करने हेतु टिप्पणी की गई थी परन्तु निरीक्षण के उपरांत दिये गए दिशा-निर्देश अनुसार वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिया गया है। अतः उपसमिति पुनः निरीक्षण कर सकती है।

- चूँकि मेरी एक ही खदान है तथा कोविड के कारण उक्त खदान को ठीक से चला भी नहीं पाए है एवं मेरी स्थिति काफी दयनीय है। वर्तमान में अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी विरूद्ध वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना है। इस विषय में मुझे पहले कभी कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः सुधार का एक मौका दिया जाए। मैं पर्यावरण स्वीकृति के समस्त नियमों का पालन करूंगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्य अनुसार, वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 281561/2022, दिनांक 04/07/2022। मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1326/2, कुल लीज क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर, फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–3,032 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 718, दिनांक 28/06/2021 द्वारा उक्त क्षमता हेतु मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के संशोधित आदेश क्रमांक 921/ख.लि./न.क्र./2021–22 गरियाबंद, दिनांक 21/02/2022 द्वारा "श्री अशोक सिंह राजपूत" के नाम पर एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
4. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल) द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
3. माईनिंग प्लान का हस्तांतरण श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–बनेसर एवं तुलसी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 80507 / 2022, दिनांक 13 / 07 / 2022। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 / 07 / 2022 को लीज क्षेत्र 250 हेक्टेयर से कम होने के कारण राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर किया गया है।

ग्राम–बनेसर एवं तुलसी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (कुल लीज क्षेत्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष) में स्थित खदान मेसर्स सेंचुरी सीमेंट, पो.ऑ.–बैकुण्ठ, जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बनेसर एवं तुलसी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के कुल लीज क्षेत्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/120/2006-IA.II(M) दिनांक 16 / 04 / 2007 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 74.843 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स सेंचुरी सीमेंट पो.ऑ. बैकुण्ठ, जिला–रायपुर के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स सेंचुरी सीमेंट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (A division of मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा पूर्व में मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 515 / TS / CECB / 2008, दिनांक 04 / 02 / 2008 द्वारा चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–12,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28 / 02 / 2021 तक की अवधि हेतु प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, बेंच, मुंबई के आदेश दिनांक 03 / 07 / 2019 द्वारा COMPANY SCHEME PETETION NO. 4236 OF 2018 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. 701 OF 2018 IN THE MATTER OF SECTION 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISION OF THE COMPANIES ACT 2013 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF DEMERGER AMONGST CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED AND ULTRATECH CEMENT LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS बाबत् जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

9. मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 7-3/2019/12 द्वारा जारी आदेश अनुसार मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जिला-रायपुर, तहसील-तिल्दा के अंतर्गत ग्राम-बहेसर व तुलसी के कुल रकबा 74.843 हेक्टेयर पर दिनांक 30/09/2002 से 29/09/2032 तक के लिए खनिज चूना पत्थर के स्वीकृत खनिपट्टा का अंतरण शेष अवधि के लिए कैप्टिव प्रयोजनार्थ मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में जारी की गई है।

11. भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 18/02/2020 द्वारा मेसर्स सेंचुरी सीमेंट के नाम से दिनांक 12/11/2018 को जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"Project proponent shall submit previous Environmental Clearance compliance report within 15 days."

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

3. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-बनेसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 80506/2022, दिनांक 13/07/2022। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13/07/2022 को लीज क्षेत्र 250 हेक्टेयर से कम होने के कारण राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर किया गया है।

मेसर्स सेंचुरी सीमेंट पो.ऑ. बैकुण्ठ, जिला-रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-बनेसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम-बनेसर एवं तुलसी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर के कुल लीज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता-18,00,000 टन प्रतिवर्ष के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06/09/2007 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 273.003 हेक्टेयर में से 237.07 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स सेंचुरी सीमेंट पो.ओ. बैकुण्ठ, जिला–रायपुर के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06/09/2007 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी की गई है।

3. मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स सेंचुरी सीमेंट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (A division of मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा पूर्व में मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 194/TS/CECB/2019, दिनांक 05/04/2019 द्वारा चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03/08/2019 तक की अवधि हेतु है।

6. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, बेंच, मुंबई के आदेश दिनांक 03/07/2019 द्वारा COMPANY SCHEME PETETION NO. 4236 OF 2018 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. 701 OF 2018 IN THE MATTER OF SECTION 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISION OF THE COMPANIES ACT 2013 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF DEMERGER AMONGST CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED AND ULTRATECH CEMENT LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS बाबत् जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

9. मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 10/02/2021 द्वारा मेसर्स सेंचुरी सीमेंट के नाम से दिनांक 12/11/2018 को जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

11. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–**

1. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी से संशोधित माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स निरोस इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हथखोज, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1696)

आवेदन – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में दिनांक 20/07/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 34 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." अनुसार अनुमति प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 791, दिनांक 10/08/2016 द्वारा प्लाट नं. 14–ए, बी, सी, एच एवं 15(पार्ट) हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इंगाट / बिलेट – 30,000 टन प्रतिवर्ष से – 90,000 टन प्रतिवर्ष (पूर्व स्थापित इन्डक्शन फर्नेस 2 गुणा 5 टन + क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टन), रोलिंग मिल क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर – 1 नग क्षमता 8,750 सामान्य घनमीटर / घंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 857, दिनांक 06/05/2022 द्वारा एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन, क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। तदानुसार उक्त सुविधा की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तावित प्रक्रिया ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शेड्यूल के किसी भी केटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तदैव, पाईप फैब्रिकेशन सुविधा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी केटेगरी के अनुसार यह फैब्रिकेशन एवं इंजीनियरिंग यूनिट के तहत् "व्हाईट केटेगरी" के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. उक्त प्रक्रिया में माईल्ड स्टील शीट को फैब्रिकेशन कर (मोड़कर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पद्धति द्वारा वेल्ड कर) एम.एस. पाईप के रूप में फैब्रिकेटेड किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।

5. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होगा। तदैव वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। उत्पन्न स्क्रैप को उद्योग परिसर में ही इण्डक्शन फर्नेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स हल्दीझरिया आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री शशि कुमार अग्रवाल), ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290408/2022, दिनांक 08/08/2022। श्री नवनीत कुमार अग्रवाल, निवासी ग्राम–लुड़ेग, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स हल्दीझरिया आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री शशि कुमार अग्रवाल), ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 326, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–13,393.52 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 133, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री नवनीत कुमार अग्रवाल के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के आदेश क्रमांक 191/खनि. शा./2020 जशपुर, दिनांक 30/07/2020 द्वारा "श्री शशि कुमार अग्रवाल" के नाम पर शेष अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 06/02/2007 से 06/02/2037 तक) हेतु उत्खननपट्टे का अंतरण किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/308ए/ख.नि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 02/07/2021 द्वारा "श्री शशि कुमार अग्रवाल" के नाम पर रिवाईज्ड क्वारी प्लान जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
3. श्री नवनीत कुमार अग्रवाल द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री शशि कुमार अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, ग्राम–महामाया एवं दुलकी, जिला–बालोद

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, ग्राम–महामाया एवं दुलकी, जिला–बालोद के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्लीराजहरा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 422/2017 एवं उससे संबंधित माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक CRMP 2593/91 बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/08/2022 के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर परिवाद के पैरा 15 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. 1-I/2013(ENV)/134 dated 10.01.2013 एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्र. 3398 दिनांक 27.09.2013 का उल्लेख करते हुए आपराधिक प्रकरण दायर किया गया है, जिसमें निम्नानुसार लेख है:–

1. प्रकरण में पर्यावरण एवं वन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2002, 20 अक्टूबर 2004, 25 अक्टूबर 2005 एवं 7 दिसंबर 2004 का उल्लेख करते हुए सेल को माईनिंग लीज वैधता समाप्ति के पश्चात् (लीज नवीनीकरण) के समय पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया और यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त पर्यावरण स्वीकृति सेल ने नहीं ली है।(परिवाद का पैरा 12)

   इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनि पट्टे का नवीनीकरण खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 13.02.2006 से, पूर्ववर्ती प्रभाव 04.11.2001 से जारी किया गया है। इससे पूर्व लीज नवीनीकरण

के संबंध में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट आदेश न होने से एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में भी स्पष्टता न होने से, सेल उपरोक्त उल्लेखित परिपत्रों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने में असमर्थ था। पर्यावरण एवं वन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2002 में लीज नवीनीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता पर नकारात्मक अभिमत देता है एवं इसके बाद जारी परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2004 में लीज नवीनीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रदर्शित करता है एवं ई. आई.ए. अधिसूचना 2006 में लीज नवीनीकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिनांक 13.12.2012 को सम्मिलित की गयी।

2. वर्ष 2001–2002 से 2014–2015 तक का उत्पादन बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति के था। अतः यह उत्पादन न्यायसंगत नही था जिसमे कारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्ली राजहरा में क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 422/2017 दायर किया गया।

इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनि पट्टे में सेल ने ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006, सितंबर माह में अधिसूचित होने के कुछ दिन पश्चात् त्वरित कार्यवाही करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में टीओआर जारी करने हेतु माह दिसंबर 2006 में आवेदन कर लिया गया था। इसके पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अप्रैल 2007 में टीओआर जारी कर EIA Study एवं जन सुनवाई का निर्देश दिया। जिसमें जनसुनवाई क्रमशः फरवरी 2011 एवं मई 2011 में दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले में सम्पन्न हुई। इनके पश्चात् सेल द्वारा लगातार प्रयास के बाद मार्च 2015 में पर्यावरणीय स्वीकृति इस खनि पट्टे हेतु जारी की गई। इस संबंध में सेल द्वारा किये गये विभिन्न पत्राचारों (लगभग 6 पत्राचार) विभिन्न EAC मीटिंग (लगभग 4 मीटिंग) एवं दो जिले में स्थित होने से 2 जन सुनवाई का उल्लेख पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमति पत्र में है। सेल ने ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 जारी होने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सतत् प्रयास किया। परन्तु दोनों पक्षों के विभागीय गतिविधियों के कारण अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब हुआ तथापि इस पूरे समयावधि में भी सेल संबंधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सतत् संपर्क में था एवं हर आवश्यक सूचना का आदान प्रदान पूरी तत्परता से किया जा रहा था।

3. इस प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु मंडल द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. 1-1/2013(ENV)/134 dated 10.01.2013 एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, रायपुर के पत्र क्र 3398 दिनांक 27.09.2013 का भी उल्लेख है। (परिवाद का पैरा 5)

इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि प्रकरण के मूल में प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 12.03.2011 में हुई एक शिकायत जिसमे की दुलकी खदान (महामाया दुलकी खदान का द्वितीय फेज) शुरू होने से होने वाले पर्यावरण को होने वाले नुकसान की परिकल्पना शिकायतकर्ता द्वारा की गई जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ने इसे उस समय चल रहे पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण से अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया एवं इसे वर्ष 2001 में लीज नवीनीकरण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति न लेने से violation प्रकरण मानते हुए सेल पर कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए एवं शिकायतकर्ता को एक

compliance report भेज दी गई। इस संबंध सेल ने कई पत्राचार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सभी गाँवों के सरपंच से भी की पर इस संबंध में सेल को कोई राहत नहीं मिली। सेल ने माननीय सत्र न्यायधीश, बालोद में अपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्र. 59/2018 के माध्यम से, आपराधिक प्रकरण क्र. 422/2017 में जारी आदेश दिनांक 11.09.2017 को चुनौती दी, जिसे माननीय सत्र न्यायालय, बालोद के आदेश दिनांक 29.03.2019 से खारिज कर दिया। सेल ने इस आदेश दिनांक 29.03.2019 को याचिका क्र. CRMP No 2593/19 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी एवं वर्तमान में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्ली राजहरा में लंबित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र को दल्ली फारेस्ट रेंज, जिला–बालोद

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र को दल्ली फारेस्ट रेंज, जिला–बालोद के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्लीराजहरा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 91/20 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) no 114/2014 कामन काज विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य द्वारा पारित निर्णय दिनांक **02.08.2017** बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/08/2022 के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दायर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 91/20 किया गया है, जिसमें निम्नानुसार लेख है:–

1. उक्त खनि पट्टे से लौह अयस्क का प्रसंस्करण प्रारंभ (लीज प्रारम्भ तिथि 23/08/1963) ने ही इसी खनि पट्टे से संस्पर्शी (contiguous) कोल के एक अन्य खनि पट्टे राजहरा हिल्स में स्थित "दल्ली क्लिंग स्क्रीनिंग एवं वाशिंग संयंत्र" में होता रहा है जिसका उल्लेख शुरुआत से ही खनि पट्टे के माइनिंग प्लान एवं CTO हेतु दिए गये आवेदनों में है।

2. CTO पूर्व में "दल्ली आयरन ओर माइन (Dalli Iron Ore Mines) एवं इसके पश्चात् दल्ली मेकेनाइज्ड माइन" के नाम से क्षमता 5.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश पर्यावरण मंडल एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल द्वारा दिया जाता रहा है। इस खनि पट्टे में CTO की उपलब्धता को दायर आपराधिक प्रकरण में भी उल्लेखित है। प्रारंभ में ही इसका CTO एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति "दो लीज एक माईन के" रूप में दी जाती रही एवं इसकी सम्पूर्ण उत्पादन लक्ष्य से संबंधित वैधानिक स्वीकृतियां इसके संस्पर्शी खनि पट्टे में समाहित रही है, ऐसा इस खनि पट्टे से संबंधित सभी हितधारिको द्वारा माना जाता रहा।

3. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति देने में "दो लीज एक माईन" की संकल्पना में स्पष्टता न होने से, सेल ने उक्त खनि पट्टे में उत्खनन कार्य दिनांक 17.02.2017 से स्वतः के विवेक से ही बंद कर दिया, जो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) no 114/2014 कामन काज विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 से पूर्व है।

4. इस खनि पट्टे का अपना अलग से "point of sale" एवं "point of dispatch" नहीं है ना ही इस खनि पट्टे में कोई प्रसंस्करण संयंत्र है एवं इस खनि पट्टे का लौह अयस्क पैसा i) में उल्लेखित "दल्ली क्रशिंग, स्क्रीनिंग एवं वाशिंग संयंत्र" के माध्यम से प्रसंस्करित होता हुआ। संस्पर्शी खनि पट्टे में स्थित रेलवे साइडिंग के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र को वर्ष 1963 से प्रेषित किया जाता रहा।

5. इस खनि पट्टे के वन स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता न होने बाबत् संबंधित दस्तावेज है एवं लीज नवीनीकरण के दौरान राज्य शासन द्वारा जारी पत्र में भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता संबंधित कथन का उल्लेख नहीं था, जबकि वन स्वीकृति नवीनीकरण एवं खनन योजना प्रस्तुत कर लीज अनुबंध कराने का आदेश दिया गया था।

6. इसी दौरान वर्ष 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी **defaulting units** में भी इस खनि पट्टे का उल्लेख नहीं था एवं सेल से संबंधित अन्य खनि पट्टे "हिरी डोलोमाइट खदान" का उल्लेख था।

7. इस खनि पट्टे में वैध वन स्वीकृति, वैध लीज अनुबंध एवं खनन योजना सहित अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त है एवं वर्तमान में इस खनिपट्टे से फरवरी 2017 से उत्पादन भी नहीं हो रहा है तथा सेल इस खनि पट्टे में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सभी वैधानिक स्वीकृति लेने को प्रतिबद्ध है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1222)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /सीएमआईएन/ 67036/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /आईएनडी/290283/2022, दिनांक 26/08/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल – 16.37

एकड़ में प्रस्तावित कोल वाशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 65, दिनांक 21/04/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" **के स्थान** पर "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2021 में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 68/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 86 का उल्लेख हो गया है तथा प्रस्तावित उद्योग हेतु भूमि विवरण तालिका में खसरा क्र. की सूची में S.No.1 एवं S.No.8 में खसरा क्रमांक त्रुटिवश गलत लिखा गया है जिसमें सुधार करते हुये S.No.1 का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 79/1 के रकबा 1.13 एकड़ के स्थान पर रकबा 1.17 एकड़ तथा S.No.8 के खसरा क्रमांक 86 के स्थान पर खसरा क्रमांक 68/2 सुधार किया जाये तथा रकबा 0.64 एकड़ के स्थान पर 0.6 एकड़ सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः भूमि विवरण तालिका निम्नानुसार है:–

S.No.	Khasra No.	Area (In Acres)
1.	Part of 79/1	1.17
2.	78 & 95	5.70
3.	80	0.52
4.	81	0.39
5.	Part of 82	0.74
6.	84	0.39
7.	87	0.70
8.	68/2	0.60
9.	Part of 55	0.87
10.	56	1.64
11.	59/1	1.97
12.	58/1	0.42
13.	58/2	0.42
14.	Part of 79/2	0.37
15.	Part of 93/1	0.21
16.	Part of 90/3	0.26
Total		**16.37**

2. प्रस्तावित वाशरी हेतु प्रयुक्त प्रस्तुत भूमि विवरण में कुल खसरों की संख्या 16 एवं कुल रकबा 16.37 एकड़ था और त्रुटि सुधार उपरांत भी यथावत् रहेगी। यह त्रुटि typographical mistake के कारण हुआ है। उक्त सभी खसरे मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के आधिपत्य की है, जिसके बी–1 खसरा की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. खसरा क्रमांक एवं रकबा में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021, संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक 65, दिनांक 21/04/2022 एवं क्षमता विस्तार हेतु आवेदित प्रस्ताव क्र. एसआईए/ सीजी/

/सीएमआईएन/ 77245/2022, दिनांक 25/05/2022 में लिखित खसरा क्रमांक एवं रकबा में त्रुटि सुधार हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्राप्त आवेदन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290458/2022, दिनांक 26/08/2022। श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल लीज क्षेत्र 2.255 हेक्टेयर, मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,400 घनमीटर (ईंट उत्पान इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 106, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के पृ. आदेश क्रमांक 758/ए/ख.शा./2017 जशपुर, दिनांक 28/08/2017 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर शेष अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 10/12/2010 से 09/12/2040 तक) हेतु उत्खनिपट्टे का अंतरण किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1852/खनिज/खनि. 3/उत्खनन सी./2020, दिनांक 04/12/2020 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर रिवाईज्ड क्वारी प्लान जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्वे क्वारी एण्ड किक्स विमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स हल्दीझरिया आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री शशि कुमार अग्रवाल), ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1957)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 259276/2022, दिनांक 03/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/08/2022 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 326, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–9,970.52 टन प्रतिवर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/08/2022 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। **प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया।** प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त प्रस्ताव को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 843ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 286359/2022, दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 900/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/843ए अटल नगर, दिनांक 28/08/2021 द्वारा मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल– 2.698 हेक्टेयर, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,46,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्युसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8895/TS/CECB/2022, दिनांक 07/03/2022 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (12 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,18,800 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–1,46,250 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु के लिए जल एवं वायु स्थापना सम्मति जारी की गई है।

4. भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि**:–

1. मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज से मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समस्त विधिक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ट्रान्सफर एग्रीमेंट (भूमि, प्लांट मशीनरी एवं अन्य) संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की सूची प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 **भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06/05/2022 –"Mechanism for handling ToR applications for issuing Standard Terms of Reference (ToRs) or referring to EAC / SEAC through PARIVESH portal - reg." के परिपेक्ष्य में विचार एवं पालन हेतु।**

1. **मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 76840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इनडक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टिल क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06/05/2022 –"Mechanism for handling ToR applications for issuing Standard Terms of Reference (ToRs) or referring to EAC / SEAC through PARIVESH portal - reg." के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त

अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–6 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 242996/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर का अधिग्रहण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से होने का उल्लेख करते हुए पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से हस्तांतरित करने बाबत् अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं:–

   i. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उनको जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

   ii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड रिसोल्युशन की प्रति।

iii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,83,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग मुण्डा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हीट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

iv. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1, कुल क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर को दिनांक 04/09/2021 को संपादित लीज डीड की प्रति।

v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन दिनांक 17/07/2020 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को उक्त क्षमता हेतु जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति पत्र की प्रति।

vi. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउकें–रा/भू.आ./2021/3692 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में खसरा क्रमांक 372/1 का भाग, ग्राम–सरोरा, रकबा 0.2 हेक्टेयर भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति।

vii. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निजी भूमि के क्रय संबंधी दस्तावेज की प्रति।

viii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के मध्य प्लांट एण्ड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग आदि कुल रू. 2,27,48,789.79/– सेल इन्वाईस की प्रति।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) का उल्लेख किया गया है, जबकि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से संपादित लीज डीड की प्रति एवं कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि आबंटन संबंधी पत्र में पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन एवं

उपरोक्तानुसार भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 एवं ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रमशः दिनांक 04/01/2022 एवं 19/01/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया कि वर्तमान में उद्योग द्वारा पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 895/एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग. /एसआईए/सीजी/आईएनडी/535 नया रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, का ही संचालन किया जा रहा है। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी. /रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी. एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, के परिपेक्ष्य में कोविड के कारण इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना संभव नहीं हो पायी है।

2. उद्योग द्वारा भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये अवगत कराया गया कि मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के समीप कुल उपलब्ध भूमि – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) थी। उक्त दोनों भूखंड को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत क्रय–विक्रय पंजीयन दस्तावेज के अनुसार निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर का खसरा क्रमांक 1/4 एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 है तथा प्लॉट नम्बर निरंक है।

3. पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. भूमि का आबंटन किया गया तत्समय प्लॉट नम्बर निरंक था एवं खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने सी.एस.आई.डी.सी. भूमि से उक्त भूखंड को लीज पर प्राप्त किया था। तत्समय उस भूखंड के खसरा का बटांकन नहीं होने का उल्लेख किया गया है। अतः उसमें कोई खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं था। किन्तु जब मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त भूखंड को अपने पक्ष में लीज का हस्तांतरण कराया गया तब तक उस भूखंड के खसरा का बटांकन कर, उसे पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 किया गया, जो कि लीज डीड तथा कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउकें–रा/भू.आ./2021/3892

रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति से स्पष्ट है।

4. उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि:–

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना नहीं की जा सकी है, चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के अनुपालन हेतु मूलरूप से स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु पर्याप्त ग्रीन बेल्ट एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के व्यवस्था करने हेतु उपलब्ध भू–भाग को निष्पादन के दौरान अपर्याप्त पाया गया। तत्पश्चात् स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय करना प्रस्तावित किया गया।

- उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 3612/टीएस/सीईसीबी/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/07/2020 द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई थी, किंतु स्टील उद्योग में व्याप्त मंदी के कारण तथा अतिरिक्त भूखंड के अभाव के कारण उपरोक्त विस्तार का निष्पादन संभव नहीं हो पाया। साथ ही कोविड–19 महामारी के आजाने के कारण उद्योग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तदुपरांत मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त उद्योग को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय कर दिया। मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय किया गया। जिसके खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को उद्योग के नाम पर पंजीयन करा लिया गया है।

- उद्योग द्वारा पूर्व धारित भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं वर्तमान में क्रय भूमि 1.676 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए कुल 3.496 हेक्टेयर भूखंड उपलब्ध है। इस संदर्भ में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर पर एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत् प्रस्तावित विस्तार का रिवाइज्ड ले–आउट, उक्त समस्त भूभाग को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

- उपरोक्तानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निजी भूमि खसरा क्रमांक 1/4 के साथ सी.एस.आई.डी.सी. की भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 को उल्लेख करने तथा उद्योग द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा

किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने के अनुरोध को अमान्य किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

   i. औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है तथा घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट का निर्माण किया गया है। वॉटर मीटर की स्थापना हेतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

   ii. वर्तमान में स्थापित इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता का स्क्रबर स्थापित है, जिसमें पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। ऑनलाईन स्टैक मॉनिटरिंग मासिक डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम अवलोकित किया गया है।

   iii. आंतरिक मार्गों एवं स्टोरेज एरिया में जल छिड़काव की जाती है।

   iv. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

   v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन दिनांक 23/06/2018 द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु प्राप्त प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की है।

   vi. जल उपभोग हेतु सी.जी.डब्ल्यू.ए. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सी.एस.आई.डी.सी. से किये गये अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   vii. किये गये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

viii. वृक्षारोपण के तहत् 34 प्रतिशत क्षेत्र में 1,500 नग पौधे रोपित किये गये है।

ix. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अखबार में दिये गये जन सूचना (Public Notice) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चूंकि वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अतः सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरांत संचालन के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसका प्रस्ताव सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अन्य शर्तों को पूर्ण कर जानकारी एवं फोटोग्राफ सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/08/2019 में अधिरोपित शर्तों का प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन एवं क्लोजर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन एवं क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त नवीन भूमि को सम्मिलित करना अथवा क्षेत्रफल में वृद्धि करना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) ई.आई.ए./ईएम.पी. स्टडी आकर्षित करता है। अतः समिति का मत है कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रचलित वर्तमान नियमों एवं दिशा-निर्देश अनुसार पृथक से कार्यवाही आवश्यक होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरांत संचालन के पूर्व पूर्ण किये जाने की अतिरिक्त शर्त के अधीन मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 126वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गौदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हीट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर को मेसर्स एस. के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड से क्रय किया गया है।

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दिनांक 27/02/2006 को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर लीज डीड हस्तांतरित किया गया है।

4. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा सी.एस. आई.डी.सी. भूमि खसरा क्रमांक 372/1, क्षेत्रफल–0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) दिनांक 04/09/2021 को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर लीज डीड हस्तांतरित किया गया है।

अतः उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) भूमि शामिल था, उसी भूमि का वर्तमान में मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है, तो यह आवश्यक है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षेत्रफल 0.50 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) भूमि जो मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. से लीज में ली गई थी, का वर्तमान में निरस्तीकरण अथवा हस्तांतरण किये जाने बाबत् प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा जारी लीज भूमि को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से दर्शाई गई है, वही लीज भूमि का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर किया गया है अथवा नहीं? तथा उक्त लीज भूमि जो मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर थी, को निरस्त किया गया है अथवा नहीं? के संबंध वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/09/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ जिव्याउके–रा/भू.आ./2021/465 रायपुर, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी भूमि हस्तांतरण आदेश की प्रति अनुसार मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में भूमि रकबा 0.2031 हेक्टेयर का हस्तांतरण किया गया है।

2. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ जिव्याउके–रा/भू.आ./2022/4605 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा आबंटित भूमि में भूमि संबंधित जानकारी की पुष्टि बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड

पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव
आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

टीप:– राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/09/2022 को सम्पन्न 128वीं बैठक में रखे गए समस्त प्रकरणों में से केवल एक प्रकरण एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 के **सरल क्रमांक–5** "मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2046)" में समिति द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव का भिन्न मत निम्नानुसार है। सदस्य सचिव द्वारा उक्त प्रकरण के अतिरिक्त शेष अन्य प्रकरणों हेतु सहमति व्यक्त की गई।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के मतानुसार,

इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि खसरा एवं क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, माईनिंग विधि एवं माईनेबल रिजर्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन लाईफ में 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष में उत्खनन करना चाहा गया है जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है तथा पूर्व में लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2020 को सम्पन्न (वर्णित क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु) कराई जा चुकी है। अतः आवेदित प्रकरण पर टी.ओ.आर. लोक सुनवाई सहित जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर सदस्य सचिव का मत है कि आवेदित प्रकरण पर टी.ओ.आर. लोक सुनवाई सहित जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः उक्त के संबंध में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को पुनः उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु पुनः विचार के लिए प्रेषित किया जाए।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़